न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ,आई.ए.एस.
प्रकरण संख्या 14/2024 रा0प्रा0 दिनांक 02.04.2024

उनवान

नोरतनमल पुत्र गोकल विश्नोई निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।

बनाम

आजाद पुत्र प्यारचन्द विश्नोई निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा वगैरह

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए.

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अवगत कराया कि प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 01 से लगायत 07 की संयुक्त शामलाती आराजियात ग्राम पुर प0ह0 पुर तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित है। ग्राम पुर की वर्तमान खाता संख्या 1347 पर दर्ज आराजी संख्या 8198 रकबा 0.2908 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त आराजी में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा व विपक्षी संख्या 01 से लगायत 07 से लगायत 07 का 1/2 हिस्सा है जो राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज है। उक्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विभाजन नही हुआ है। विपक्षीगण बिना विभाजन कराये संयुक्त शामलाती खाते की कृषि आराजियात को बेचान करने पर आमादा है। विपक्षीगण बिना विभाजन कराये वादग्रस्त भूमि का बेचान कर दिया गया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराई जावें की उक्त आराजी का विभाजन होकर हिस्से अलग नही होने तक किसी अन्य को रहन विक्रय बक्सीस या अन्य किसी प्रकार से अंतरित नही करे।

अन्त में निवेदन किया कि प्रथम दृष्टया केस, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के तथ्य प्रार्थी के पक्ष में है। क्योंकि आराजी संख्या 8198 पर सम्पूर्ण रकबे पर प्यारचन्द के जीवनकाल से ही प्रार्थी का कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग चला आ रहा हैं इसलिए प्रथम दृष्दया मामला व सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। दौराने वाद विपक्षी संख्या 01 से लगायत 07 प्रार्थी को कब्जे से बेदखल कर देंगे या बिना विभाजन कराये ही आराजी विक्रय कर देंगे तो प्रार्थी के हितो पर भारी कुठाराघात होगा और अनेकानेक वाद विवाद बढ जायेंगे जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति अर्थ में भी संभवन नही हो सकेगी न्यायहित में ताःफैसला वाद उक्त आराजी की रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने की अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश विपक्षीगण को पाबन्द किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है।

मैने प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन किया व वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया। वादग्रस्त ग्राम पुर प0ह0 पुर तहसील व जिला भीलवाडा के आराजी संख्या 8198 रकबा 0.2908 हैक्टेयर भूमि एवं विपक्षीगण की संयुक्त शामलाती कृषि आराजियात है उक्त वादग्रस्त भूमि को विपक्षीगण बिना विभाजन कराये खुर्द बुर्द करने पर आमादा होने से प्रार्थी का प्रथम दृष्दया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में होने से विपक्षीगण संख्या 01 से लगायत 07 को मौका एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतएव

आदेश

अतः आदेश दिया जाता है कि वादग्रस्त ग्राम पुर प0ह0 पुर तहसील व जिला भीलवाडा के आराजी संख्या 8198 रकबा 0.2908 हैक्टेयर भूमि के संबंध में विपक्षी संख्या 01 से लगायत 07 के विरूद्ध इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 17.05.2024 तक जारी की जाती है कि वादग्रस्त संयुक्त शामलाती कृषि आराजियात का बिना विभाजन कराये किसी अन्य को विक्रय बैचान,खुर्द बुर्द नही करे, राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनायी रखी जावे। प्रार्थी अधिवक्ता विपक्षीगण के रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस पेश करने पर जारी करे। पत्रावली दिनांक 17.05.2024 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
भीलवाडा

17/5/24 पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त
अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश
दिनांक 16/8/24 को पेश हो।

आदेश से रीडर

16/8/24 पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त
अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश
दिनांक 25/10/24 को पेश हो।

25/10/24 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थीगण के नोटिस तामील होने के बावजूद भी उपस्थित नहीं होने से एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये जवाब बंद कर एकपक्षीय बहस सुनकर स्थगन प्रार्थना पत्र को मूल वाद के निस्तारण तक स्थाई करने का निवेदन किया गया।

पैरोकार सरकार द्वारा वादग्रस्त भूमि ग्राम पुर की आराजी सं. 8154 की जमाबंदी प्रस्तुत की गई। पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी के नाम नहीं होकर अन्य व्यक्ति के नाम दर्ज है अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम चलने योग्य नहीं है।

पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड ग्राम पुर के खसरा नं. 8198 रकबा 0.2908 का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में होने के कारण प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में नाम होना आवश्यक है राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है। नतीजा सरेइजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

25/10/24
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा